



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

संख्या- 316 / एनओसी-70 / 16

दिनांक - 03/06/2016

सेवा में,

मै० एस्सार रिटेल आउटलेट
द्वारा श्री नितिन जैसवाल,
ए-5, सेक्टर-3, नोयडा।

ट्रायल संचालन से पूर्व
सहमति प्राप्त करना अनिवार्य।

विषय-पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से खसरा संख्या-1612, ग्राम-कुण्डौल तहसील-सदर, आगरा पर
पेट्रोल पम्प रिटेल आउट लेट स्थापित किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के
संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
आपके आवेदन पर विचार किया गया है। कृपया अवगत हों कि पेट्रोल पम्प रिटेल आउट लेट की स्थापना
को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की
जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है-

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---|
| (क) | स्थल | : | खसरा नं०-1612, ग्राम-कुण्डौल
तहसील-सदर, आगरा |
| (ख) | विवरण | : | पेट्रोल पम्प रिटेल आउट लेट |
| (ग) | उत्प्रवाह की मात्रा | : | 1.0कि०लीटर/दिन (घरेलू उत्प्रवाह मात्र) |
| (घ) | प्रयुक्त ईंधन एवं उसकी मात्रा | : | शून्य। |

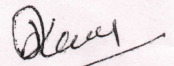
उपरोक्त विषयवस्तु में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना
अनिवार्य होगा।

- अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुपालन आख्या प्रत्येक माह बोर्ड को प्रतिशत की जाएगी।
- पेट्रोल पम्प रिटेल आउट लेट की स्थापना एवं संचालन इस प्रकार किया जाए कि पर्यावरण पर
न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा कोई भी क्रिया कलाप जनहित के प्रतिकूल नहीं की जाएगी।
- पेट्रोल पम्प रिटेल आउट लेट में टाइलेट्स इत्यादि से जनित घरेलू उत्प्रवाह के समुचित निस्तारण
हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था की जाए।
- पेट्रोल पम्प रिटेल आउट लेट परिसर में अधिकतम वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाए।
- पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु प्रस्तावक द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/
अग्निशमन/विस्फोटक आदि विभागों से अनापत्ति 1 माह में प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने
की शर्त के साथ तथा उनकी अनुज्ञाओं की शर्तों का शत प्रतिशत अनुपालन आवश्यक है।

7. वृक्षों के पातन के संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त की जाए तथा वन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रेषित की जाये।
8. पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट का निर्माण अनुमोदित मानचित्र में मानको के अनुसार किया जाए।
9. पेट्रोल पम्प रिटेल आउट लेट संचालन से पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति(जल) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत गैसीय उत्सर्जन हेतु सहमति (वायु) प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन तिथि से एक वर्ष हेतु अथवा एस्सार रिटेल आउटलेट संचालन दिवस जोभी पहले हो तक की अवधि हेतु वैध है। शर्तों के संशोधन का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त (रिवोक) किया जा सकता है।

भवदीय



(डा० राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), आगरा को उनके पत्रांक 501/आब०सहा० दिनांक 16.05.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित

क्षेत्रीय अधिकारी